गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र. 25 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A++ Grade Accredited by NAAC)
कोनी,बिलासपुर- 495009 (छ.ग.)
दूरभाष% 07752&2602009 फ़ैक्स % 07752&260154
वेबसाइट: www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
(A++ Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 495/ अकादमिक /2024 **बिलासपुर, दिनांक- 02.08.2024**

परिपत्र

प्रवेश सूचना क्रमांक 558 / प्रवेश / अकादमी/ 24, दिनांक-01.03.2024 के संदर्भ **सीयूईटी यूजी प्रवेश - 2024 के** लिए, निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है -

1. प्रवेश प्रक्रिया: चरण-
   पंजीयन शुल्क- अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 250.00 रुपये,
   एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 100.00 रुपये
   ऑनलाइन पंजीयन - ऑफलाइन काउंसलिंग - ऑनलाइन शुल्क जमा करना - ऑनलाइन प्रवेश
   ऑनलाइन पंजीयन लिंक- http://new.ggu.ac.in या http://ggvcuet.samarth.edu.in .

2. आवेदकों को CUET UG 2024 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा-

कार्यवाही	दिनांक	संबंधित विभाग में उपस्थिति/पंजीयन का समय
प्रवेश और काउंसलिंग के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन	07.08.2024 से 16.08.2024 तक	प्रवेश की आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा
सामान्य प्रावीण्य सूची की घोषणा	21.08.2024	सायं 05.00 बजे
अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश/शुल्क जमा करने के लिए प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग	29.08.2024	प्रातः 09.30 से 11.30 बजे तक
दूसरे चरण की प्रावीण्य सूची की घोषणा	30.08.2024	सायं 04.00 बजे
अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश/शुल्क जमा करने के लिए द्वितीय चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग	04.09.2024	प्रातः 09.30 से 11.30 बजे तक
यदि आवश्यक हो, तो तीसरे चरण की प्रावीण्य सूची की घोषणा	06.09.2024	सायं 04.00 बजे

1/5

यदि आवश्यक हो, तो प्रवेश के लिए तीसरे चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग/अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करना	10.09.2024	प्रातः 09.30 से 11.30 बजे तक

3. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से आवेदकों को ऑफ़लाइन काउंसलिंग के लिए कट ऑफ अंकों के बारे में सूचित करेंगे और **22.08.2024, शाम 05.00 बजे** या उससे पहले काउंसलिंग के पहले दौर के लिए उम्मीदवारों को ईमेल भेजेंगे। विभागों द्वारा चरणवार कट ऑफ अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर भी प्रकाशित किए जाएंगे ।
4. शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक इस ऑफलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर ईमेल या कट ऑफ अंक प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथियों पर निम्नलिखित दस्तावेजों (मूल और एक सेट फोटो कॉपी) के साथ संबंधित विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं -
   i. 10 वीं /हाईस्कूल की अंकसूची
   ii. 12 वीं /हायर सेकंडरी की अंकसूची
   iii. जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
   iv. गैप प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
   v. CUET यूजी आवेदन पत्र
   vi. CUET यूजी स्कोर कार्ड
   vii. सेमेस्टर शुल्क जमा करने के लिए मोबाइल और डेबिट/क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त राशि होनी चाहिए।

   (मूल स्थानांतरण (टीसी) / प्रवजन / चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज अगले चरण की काउंसलिंग से पहले प्रवेशित उम्मीदवारों से एकत्र किए जाएंगे, हालांकि उम्मीदवार काउंसलिंग के समय भी अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं)

   काउंसलिंग के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा न करने वाले अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अगले चरण की काउंसलिंग से पहले टी.सी. जमा कर देगा।
5. विभागाध्यक्ष अपनी प्रवेश समिति के माध्यम से ऑफ़लाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों से शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज (अर्थात 10 वीं , 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति) और जाति/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, एकत्र करेंगे तथा मूल दस्तावेजों के साथ उसका सत्यापन करेंगे तथा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करेंगे।

6. ऑफ़लाइन काउंसलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होने मात्र से आवेदक को किसी विषय में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं कर लेता/लेती। यदि किसी आवेदक को अनजाने

में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम पात्रता की शर्त को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

7. शुल्क का भुगतान केवल मोबाइल या स्वाइप मशीन के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय में एक बार जमा किया गया शुल्क, कक्षाएँ शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाएगा। हालाँकि, विश्वविद्यालय के सुसंगत/उपयुक्त अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रतिदेय शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

8. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों की अंकसूची और स्कोर कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करने और पात्रता की जांच करने के बाद, संबंधित विभाग किसी विशेष कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार करेगा और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए इसे अपने सूचना पटल पर लगभग 01.00 से 02.00 बजे तक चस्पा करेगा।

9. **काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची CUET UG 2024 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। हालाँकि, आवेदकों के CUET अंकों में किसी भी तरह से बराबर होने की स्थिति में, प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए कक्षा 12 वीं और फिर 10 वीं कक्षा के उच्च प्रतिशत पर विचार किया जाएगा। इसमें भी अंक बराबर होते हैं, तो उम्र में बड़े छात्र को प्रावीण्य सूची में शामिल किया जाएगा।**

10. **प्रावीण्य सूची के प्रकाशन के बाद, चयनित उम्मीदवार उसी दिन अपना प्रवेश/सीट सुरक्षित करने के लिए सेमेस्टर फीस जमा कर सकते हैं।** विश्वविद्यालय द्वारा विभागों को उपलब्ध कराई गई स्वाइप मशीन के माध्यम से विभागाध्यक्ष सेमेस्टर फीस जमा करेंगे। किसी भी तकनीकी समस्या या गलती की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "**ऑनलाइन भुगतान**" पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से फीस जमा की जा सकती है।

11. विभागाध्यक्ष प्रत्येक चरण के प्रवेश के बाद संबंधित अधिष्ठाता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर प्रवेशित छात्रों और रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित करेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग द्वारा प्रवेशित छात्रों का विवरण समर्थ (SAMARTH) पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा।

12. सभी सत्यापन और प्रावीण्य सूची तैयार करने का काम विभाग की प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। स्कूलों के अधिष्ठाता प्रवेश प्रक्रिया का समन्वय करेंगे और काउंसलिंग के समय आवश्यकतानुसार प्रवेश के लिए आवश्यक मंजूरी देंगे।

3/5

विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग प्रावधान-

13. यदि विभागों में **10.09.2024 को स्नातक** कार्यक्रमों की कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं , तो सीयूईटी यूजी 2024 के माध्यम से विज्ञापित स्नातक स्तर के कार्यक्रमों की ऐसी सभी रिक्त सीटों को भरने के लिए **13.09.2024 को एक विशेष ऑफ़लाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।**
14. विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए विभागवार रिक्तियों की सूची **11.09.2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।**
15. इच्छुक उम्मीदवार जो सीयूईटी यूजी 2024 में उपस्थित हुए हैं या नहीं हुए हैं, वे सीयूईटी आवेदन पत्र (यदि उपलब्ध हो), सीयूईटी स्कोर कार्ड (यदि उपलब्ध हो), अंकसूची की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) के साथ एक सादे कागज पर अपना अनुरोध सीधे रिक्त सीटों वाले संबंधित विभागों में **13.09.2024 को सुबह 11 बजे से पहले जमा कर सकते हैं ।**
16. **जिन अभ्यर्थियों ने गलती से अपने मुख्य आवेदन में गलत श्रेणी दर्ज कर दी है, वे भी मुख्य CUET आवेदन में दर्ज की गई जाति/श्रेणी को बदलने के लिए सादे कागज पर संबंधित विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकते हैं और संबंधित विभागाध्यक्ष ऐसे बदलाव की अनुमति दे सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस विशेष चरण में भी अपने CUET UG आवेदन को एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में स्थानांतरित कर सकते हैं ।**
17. इस विशेष काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल रिक्त सीटों के लिए ही नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए, जो उम्मीदवार CUET UG 2024 में उपस्थित नहीं हुए हैं और 11.09.2024 को अधिसूचित रिक्त सीटों के विरुद्ध GGV में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे 13.09.2024 को **सुबह 11 बजे से पहले संबंधित विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं ।**
18. हालाँकि, ऑफ़लाइन काउंसलिंग में उपस्थिति या प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होने मात्र से आवेदक को किसी विषय में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वह प्रवेश सूचना CUET 2024 में अधिसूचित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं कर लेता/लेती।
19. विभाग अपने विभागों में आने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। पहली वरीयता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास GGV द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए मैप किए गए संबंधित CUET विषय/टेस्ट पेपर में स्कोर कार्ड है। उसके बाद, विभाग 12वीं (HSSC) कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अन्य सभी उम्मीदवारों की एक और प्रावीण्य सूची तैयार करेगा और उन्हें प्रावीण्यता के आधार पर किसी विशेष कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति देगा । किसी भी बराबरी की स्थिति में, ऊपर बताए गए टाई ब्रेक फॉर्मूला को लागू किया जाएगा।
20. **13.09.2024** को प्रातः 09.30 बजे से 11.00 बजे तक संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा ।
21. विभाग लगभग 01.00 से 01.30 बजे तक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अधिसूचित करेंगे और उन्हें **13.09.2024** को शुल्क जमा करने की अनुमति देंगे।
22. इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

4/5

23. **विभागाध्यक्ष 13.09.2024 को या उससे पहले आवेदकों को अतिरिक्त सीटों (कर्मचारी कोटा) पर प्रवेश दे सकते हैं।**

24. **स्नातक कार्यक्रमों की कक्षाएं 09.09.2024 से प्रारम्भ होंगी।**

सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक- 02.08.2024

पृष्ठांकन क्रमांक 496 /अकादमी/2024

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समन्वयक, आईटी सेल को सूचनार्थ तथा सभी की जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को कृपया सूचनार्थ।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी / जन-सम्पर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. वित्त अधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को कृपया सूचनार्थ तथा उपरोक्तानुसार शुल्क संग्रहण प्रक्रिया के समन्वय हेतु।
7. कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. कार्यालय प्रति.

सहायक कुलसचिव (अकादमी)